न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 131/17
निर्णय दिनांकः 03.05.2018

1. हीरादेवी पत्नि स्व0 घीसा
2. बालू पुत्र स्व0 घीसा
3. रामनारायण पुत्र स्व0 घीसा
4. नारायणी पत्नि स्व0 श्योजीराम
5. महेन्द्र पुत्र स्व0 श्योजीराम
6. सुरेन्द्र पुत्र स्व0 श्योजीराम
7. राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्योजीराम

समस्त जाति यादव नि0 श्योसिंहपुरा कन्देवली तह0 फुलेरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. धन्नीदेवी पत्नि तुलसीराम पुत्र स्व0 घीसा जाति यादव नि0 खेडीमिल्क तह0 रेनवाल जिला जयपुर राज0
2. गुलाबदेवी पत्नि गोपी पुत्री स्व0 घीसा जाति यादव नि0 पाटन किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. प्रेमदेवी पत्नि सीताराम पुत्री स्व0 घीसा जाति यादव नि0 श्योसिंहपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
4. संतोष पत्नि गोपीराम पुत्री स्व0 घीसा जाति यादव नि0 मंडौर तह0 फागी जिला जयपुर राज0
5. गीतादेवी पत्नि जगदीश पुत्री स्व0 श्योजीराम जाति यादव नि0 मंडौर तह0 फ़ागी जिला जयपुर राज0
6. चन्दादेवी पत्नि राधामोहन पुत्री स्व0 श्योजीराम जाति यादव नि0 मंडौर तह0 फागी जिला जयपुर राज0
7. लालीदेवी पत्नि मूलचन्द पुत्री स्व0 श्योजीराम जाति यादव नि0 हचूकड़ा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत घोषणा खातेदारी</u>

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजीयात नया खाता सं0 44 पुराना खाता सं0 37 खं0नं0 364

Scanned by CamScanner

रकबा 30 बीघा 2 विस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 30 बीघा 2 विस्वा वाकै ग्राम कन्देवली प0ह0 कन्देवली तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो कि विवादित है। वादीगण व प्रतिवादीगण स्व0 घीसा के वारिसान है एवं स्व0 घीसा के पिता स्व0 नाथू के केवल मात्र एक ही संतान खुद स्व0 घीसा ही थे ओर घीसा के पिता स्व0 नाथू एवं उनके भाई स्व0 मंगला थे। स्व0 मंगला का ना तो विवाह नहीं हुआ था इसलिए वह नाऔलाद ही फौत हुये थे ओर वह अपने भाई स्व0 नाथू के पास ही रहते थे। स्व0 नाथू का परिवार ही उनके सेवा सुश्रुसा करता था। स्व0 मंगला परिवार में बड़े भाई होने के कारण उक्त विवादित आराजीयात का पर्चा स्व0 मंगला के नाम आया था ओर उक्त आराजीयात पर स्व0 मंगला व स्व0 नाथू दोनों काश्त करते थे ओर उनके बाद स्व0 घीसा के वारिसान आज दिनांक तक काश्त करते आ रहे है उक्त आराजीयात में ही वारिसान निवास कर रहे है। स्व0 मंगला का विवाह नहीं हुआ था ओर वह नाऔलाद ही फौत हुये थे इसलिए स्व0 नाथू के जायन्दा पुत्र स्व0 घीसा को दत्तक लिया गया था ओर सारे रीति रिवाज एवं अन्तिम क्रियाकर्म स्व0 घीसा ही ने ही किये थे ओर इसलिए उक्त आराजीयात का स्व0 मंगला के बाद स्व0 घीसा के नाम नामान्तकरण राजस्व रिकोर्ड में खोला गया था क्योकिं स्व0 मंगला व स्व0 नाथू के वारिस केवल स्व0 घीसा ही थे ओर अन्य कोई वारिसान नहीं था इसलिए स्व0 मंगला के फौत होने पर स्व0 घीसा के उक्त फौती नामान्तकरण घीसा पि0 मु0 मंगला के नाम से इन्द्राज हो गया था। स्व0 घीसा को देहान्त दिनांक 20.05.16 को हो जाने के कारण उनके वारिसान के नाम फौती नामान्तकरण राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज होना था लेकिन वारिसान द्वारा स्व0 घीसा का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते समय स्व0 घीसा के पिता का नाम नाथू लिखा दिया गया था जो कि स्व0 घीसा के वास्तविक एवं जाईन्दा पिता थे जबकि उक्त विवादित आराजीयात में स्व0 घीसा पुत्र मु0 मंगला अहीर के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दत्तक पिता के नाम से खातेदारी दर्ज है इसलिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत व पटवार हल्का द्वारा उक्त फौती नामान्तकरण को तस्दीक नहीं किया जा रहा है वादीगण व प्रतिवादीगण कई बार ग्राम पंचायत व पटवार हल्का को नामान्तकरण खोलने के लिए कहा लेकिन वारिसान के नाम नामान्तकरण नहीं खोला गया ओर स्व0 घीसा के पुत्र श्योजीराम का देहान्त भी दिनांक 23.11.2000 को हो गया था जिसके वारिसान को पक्षकार बनाये गया है जबकि घीसा पुत्र दत्तक मंगला व घीसा पुत्र नाथू दोनों एक ही व्यक्ति है ओर दोनो भाईयों के एक ही वारिसान है इस प्रकार उक्त खातेदारी का नामान्तकरण स्व0 घीसा के वारिसान के खुलाना चाहिये क्योकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं दत्तक विधि के द्वारा भी उक्त वारिसान के नाम ही नामान्तकरण खुलना है लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र घीसा पुत्र नाथू जाईन्दा के पिता के नाम से बन गया है जो कि जाईन्दा पिता थे उनके भी एक ही वारिस था ओर नामान्तकरण प्रकिया में स्व0 घीसा पुत्र मु0 मंगला खोला गया क्योकि वारिस केवल स्व0 घीसा ही था अन्य कोई वारिसान नहीं था इसलिए

Scanned by CamScanner

श्रीमान् से निवेदन है कि स्व0 घीसा के वारिसान के नाम उनके हिस्सें अनुसार खातेदारी खोली जाने के आदेश अता फरमावें जावें।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 की ओर से वकील श्री शान्तनू नांगू ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 8 की ओर से श्री रामराम उपस्थित हुए। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र चैनपुरा में पेश हुयी। वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2021 से 2024, खं0नं0 364 ग्राम श्योसिंहपुरा, मृत्यु प्रमाण पत्र घीसा दिनांक 20.06.17, मृत्यु प्रमाण पत्र श्योजीराम दिनांक 08.12.2000 पेश की है।

वकील वादीगण ने मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि नया खाता सं0 44 पुराना खाता सं0 37 खं0नं0 364 रकबा 30 बीघा 2 विस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 30 बीघा 2 विस्वा वाकै ग्राम कन्देवली प0ह0 कन्देवली तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 के राजस्व रिकोर्ड में अंकित घीसा पि0 मु0 मंगला कौम अहीर की खातेदारी घीसा के वारिसान जो वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के पिता है इसलिए स्व0 घीसा का फौती नामान्तकरण खोलते हुये वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 03.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प चैनपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उप.खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

हीरादेवी वगै0 बनाम धन्नीदेवी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

मुकदमा नंबर 131/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मुकेश अहलूवालिया व हाजरी शान्तनू नांगू मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि नया खाता सं0 44 पुराना खाता सं0 37 खं0नं0 364 रकबा 30 बीघा 2 विस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 30 बीघा 2 विस्वा वाकै ग्राम कन्देवली प0ह0 कन्देवली तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 के राजस्व रिकोर्ड में अंकित घीसा पि0 मु0 मंगला कौम अहीर की खातेदारी घीसा के वारिसान जो वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के पिता है इसलिए स्व0 घीसा का फौती नामान्तकरण खोलते हुये वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ....निज ..... मुबलिग..... ..... बाबत्..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत.....

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

मुहर
ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner